

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

पत्र संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2016/ IV - 1394/910

दिनांक: 21/06/2016

सेवा में,

M/s GourSons SportsWood Pvt. Ltd.,
D - 25, Vivek Vihar,
Delhi - 110095.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 06-06-2015 के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस0सी0 - 01/ ई - 01, सैक्टर - 79, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ पुनरीक्षित भवन मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।



15. पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान की स्वीकृति संख्या IV - 1374/पुनरीक्षित स्वीकृति - 734 दिनांक 16.06.2014 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से सबलीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा।
16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेंगे।
17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में संलग्नक - 2 पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित एफ0ए0आर0 1,87,108.24 वर्ग मी0 के आवासीय उपयोग से स्थानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है। इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी।
20. ग्रीन बिल्डिंग हेतु अनुमन्य अतिरिक्त 5% एफ0ए0आर0 भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमन्य होगा।
21. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
23. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
24. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग तथा उसके सपोटिंग यूज में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी।
26. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज डीड की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
27. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाये तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।

28. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
29. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथारिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
30. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
31. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
32. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
33. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवार्थ एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
34. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
35. यह पुनरीक्षित स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
36. आबंटी संस्था ने सन्दर्भित भवन को ग्रीन बिल्डिंग के लिए आई0जी0बी0सी0 ग्रीन होम्स रेटिंग में पंजीकरण कराया है, जिसकी प्रति पत्रावली में सम्मुख संलग्न है। भवन विनियमावली के अध्याय 3 के बिन्दु सं0 24.8(14) में ग्रीन बिल्डिंग के लिए प्रथक से 5% अतिरिक्त एफ0ए0आर0 का प्राविधान है। इस आधार पर आबंटी संस्था ने सन्दर्भित भवन के लिए 5% अतिरिक्त एफ0ए0आर0 प्रस्तावित किया है। आई0जी0बी0सी0 ग्रीन होम्स रेटिंग की मान्यता के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा जारी /लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आबंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा।
37. पुनरीक्षित स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।



4/6

[REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV - 1394

सब लीज भूखण्ड ई - 1, सैक्टर - 79 पर पुनरीक्षित निर्माण

अ) आवासीय उपयोग

- सब लीज भूखण्ड का क्षेत्रफल = 40,000.00 वर्ग मी०
- स्वीकृत ले-आउट प्लान के अनुसार अनुमन्य
 - भू-आच्छादन(आवासीय) = 11,680.00 वर्ग मी०
 - भू-आच्छादन(वाणिज्यिक) = 320.00 वर्ग मी०
 - कुल अनुमन्य भू-आच्छादन = 12000.00 वर्ग मी०
 - एफ०ए०आर० (आवासीय) = 108998.00 वर्ग मी०
 - एफ०ए०आर० (वाणिज्यिक) = 1002.00 वर्ग मी०
 - कुल = 1,10,000.00 वर्ग मी०
 - 5% ग्रीन बिल्डिंग हेतु = 5500.00 वर्ग मी०
 - कुल = 1,15,500.00 वर्ग मी०
- पुनरीक्षित निर्माण हेतु भवन मानचित्र के अनुसार सैटबेक = न्यूनतम आवश्यक/स्वीकृत ले आउट के अनुसार
 - भू-आच्छादन (आवासीय) = 6322.53 वर्ग मी०
 - भू-आच्छादन (वाणिज्यिक) = 319.50 वर्ग मी०
 - भू-आच्छादन (फेसेलिटीज) = 991.85 वर्ग मी०
 - कुल पुनरीक्षित भू-आच्छादन = 7633.87 वर्ग मी०
 - एफ०ए०आर० (आवासीय) = 1,14,471.22 वर्ग मी०
 - एफ०ए०आर० (वाणिज्यिक) = 1,001.85 वर्ग मी०
 - कुल = 1,15,473.07 वर्ग मी०
 - 15% सर्विस एरिया = 15,633.88 वर्ग मी०
 - कुल फ्लैटों की संख्या = 800
 - 4.5 व्यक्ति प्रति फ्लैटों की दर से जनसंख्या = (800X4.5) = 3600 व्यक्ति
 - भवन की ऊँचाई = 199.0 मी०
 - पार्किंग की आवश्यकता = 1452.00 ई०सी०एस०
 - @ 1 ई०सी०एस० प्रति 80 वर्ग मी० एफ०ए०आर प्रस्तावित ई०सी०एस०
 - अपर बेसमेंट की पार्किंग@ 30ई०सी०एस०=27628.50/30 = 921 ई०सी०एस०
 - लोअर बेसमेंट की पार्किंग@ 30ई०सी०एस०=29442.24/30 = 981 ई०सी०एस०
 - खुले क्षेत्र में पार्किंग@ 20ई०सी०एस०=2400.23/20 = 120 ई०सी०एस०
 - कुल पार्किंग स्थल = 2022 ई०सी०एस०**
 - खुला क्षेत्रफल = 40,000.00 - 7,633.87 = 32366.13 वर्ग मी०
 - लैंडस्केपिंग क्षेत्रफल = खुला क्षेत्रफल का 50% = 16183.065 वर्ग मी० (आवश्यक)
 - = 16,199.46 वर्ग मी० प्रस्तावित
 - वृक्षों की संख्या = 1 पौधा प्रति 100 वर्ग मी० खुले क्षेत्रफल का = 32366.13 = 323.66 = 324 वृक्ष (आवश्यक)
 - 100
 - = 330 अदद (प्रस्तावित)

[REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV - 1394

5/6

आंवटी संस्था ने स्थल पर लेण्डस्केपिंग क्षेत्रफल 16,183.065 वर्ग मी० के सापेक्ष में 16,199.46 वर्ग मी० निर्मित किया गया है तथा कुल 324 पौधों के सापेक्ष 330 पौधे रोपण किये गये हैं, जिसमें 50% लम्बी व घनी आबादी के छायादार हैं ।

तल-वार विवरण

तल	उपयोग	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल		पुनरीक्षित क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	
		नॉन एफ.ए.आर. सर्विस क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	नॉन एफ.ए.आर. सर्विस क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
अपर बेसमेंट	पार्किंग/ व्यवसायिक	361.021	510.84	4087.85
लोअर बेसमेंट	पार्किंग/ सर्विसेज
भूतल/स्टिक्ट	आवासीय/ पार्किंग/ व्यवसायिक सुविधाएँ	5490.169	686.319	565.95	3263.97
प्रथम तल	आवासीय/ व्यवसायिक	351.846	5123.929	408.32	5283.81
द्वितीय तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
तृतीय तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
चर्तुथ तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
पंचम तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
छटवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
सातवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
आठवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
नौवा तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
दसवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
ग्यारहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
बारवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
तेरहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
चौदहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
पन्द्रहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
सोलहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
सत्रहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
अटारहवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
उन्नीसवां तल	आवासीय	351.846	4803.929	408.32	4964.31
बीसवां तल	आवासीय	286.862	3971.373	408.32	4964.31
इक्कीसवां तल	आवासीय	286.862	3971.373	112.33	1243.66
बाइसवां तल	आवासीय	214.336	2986.108	112.33	1243.66
तैइसवां तल	आवासीय	214.336	2986.108	112.33	1243.66

 

6/6

[REVISED PLAN]

पत्रावली संख्या - IV - 1394

चौबीसवां तल	आवासीय	89.052	1260.962	112.33	1243.66
पच्चीसवां तल	आवासीय	89.052	1260.962	112.33	1243.66
छब्बीसवा तल	आवासीय	52.789	747.355	112.33	1195.86
सत्ताइसवां तल	आवासीय	112.33	1101.33
टैरिस तल	ममटी/ मशीनरूम	1205.251	...	957.37
गार्ड रूम अन्य (एस०टी०पी० पैनल रूम यू०जी० टैंक व पम्प रूम व कम्युनिटी हॉल आदि)				30.00 4617.01	
योग		14613.783	15633.88	115473.01
तहखाना					
अपर तहखाना	पार्किंग	33757.210		30,812.57	
लोअर तहखाना	पार्किंग	34118.231		30,106.04	
स्टिल्ट			2795.58	
कुल क्षेत्रफल		82489.224	109826.232	63714.188	115473.01
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना एवं स्टिल्ट सहित)		= 82,489.224 + 1,09,826.232 = 1,92,315.456 वर्ग मीटर			
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना, पोडियम एवं स्टिल्ट सहित)		= 15,633.88 + 63,714.188 + 1,15,473.01 = 1,94,821.078 वर्ग मीटर			

टिप्पणी - स्पोर्ट सिटी/मनोरंजन का अवशेष एफ.ए.आर. 19,630.54 वर्ग मी० जोकि कुल आवासीय एफ०ए०आर० 108998.00 वर्ग मी० का 18.01% है का उपयोग आवासीय/गुप हाउसिंग के उपयोग में सभी मनोरंजन/स्पोर्ट सिटी सुविधाओ के पूर्ण होने के बाद किया जा सकेगा।

- प्रस्तावित भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 7,633.87 वर्ग मी०
- प्रस्तावित एफ०ए०आर० = 1,15,473.07 वर्ग मी०

Map for proposed Building is as per Bye
Laws submitted for approval Please.

PI Assst.

Asst. Arch
Architect

नाम.....
पद.....
नोएडा नोएडा

प्रतिलिपि:

- महाप्रबन्धक (वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।